have been placed before other WTO bodies, highlighting India's concerns. These include the Committee on Agriculture, Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures, Dispute Settlement Body, Working Group on Trade and Competition Policy, Working Group on Trade and Investment, Committee on Trade and Environment and others. A special thrust has been taken by India with regard to the Special and Differential Treatment provisions for developing countries, which need to be translated into guidelines for implementation in order that benefits actually accure thereform to the developing countries. India has also been actively protecting its interest in the WTO and questioning non-tariff barriers raised by developed countries. Whenever instance of unwarranted barriers to market access are found to be actionable under WTO rules, disputes have been initiated under the WTO dispute settlement mechanism.

(c) India works very closely with other developing countries. A group of like minded developing countries including India, Egypt, Pakistan, Tanzania, Uganda, Malaysia, Indonesia and several other countries meets regularly at Geneva to discuss issues and coordinate strategy. The G-15 countries met on 10-11 December, 1998 in New Delhi and strongly reiterated the need to address concerns about implementation especially relating to special and differential treatment provision of WTO agreements upfront and without linkage to any future negotiations. The recommendations of the G-15 Symposium were placed for consideration of Trade Minister at their meeting at Montego Bay in Jamaica on 6 February, 1999 followed by G-15 summit at the same venue on 10-11 February, 1999. The G-15 countries have resolved to coordinate their strategy in the WTO process. SAARC countries have also been meeting periodically to discuss WTO issues and work out common strategies.

Revamping Export Promotion Council

626. SHRI RAGHAVJI:
PROF VIJAY KUMAR MALHOTRA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to revamp Export Promotion Councils with a view to showing their functioning and lifting the sagging export; and

(b) if so, the details in the regard?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) The performance of Export Promotion Councils is reviewed on a regular basis with special reference to the mandate given to them. Government is continuously making efforts to strengthen these Councils to enable them to cater to the needs and fulfill the aspiration of the exporting community in an effective manner.

(b) A Sub-Committee has been constituted to look into this matter. Its report is under finalisation.

आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

627. श्रीमती मालती शर्मा:
प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश से आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए आभूषणों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने आभूषणों के निर्यात को बढ़ाने के कुछ उपाय किए हैं। हाल में उठाए गए कुछ अधिक महत्वपूर्ण कदमों में शामिल है। (i) निर्यातोन्मुख एककों (ईओयू)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों (ईपीजेड) को पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात मूल्य का 10% सादे स्वर्ण आभूषणों के प्रति 10 ग्राम पर 400 रु॰ की

रियायती शुल्क दर के भुगतान से और जड़ित आभूषणों के संबंध में 5% के शुल्क पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री करने की अनुमति दी गई है; (ii) केवल आभूषण उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना (ईपीसीजी) के अधीन शून्य शुल्क आयात के लिए आरंभिक सीमा को पूर्ववर्ती 20 करोड़ रु० के स्तर को घटाकर केवल 1 करोड़ रु० कर दी गई है, (iii) मूल्यवर्द्धन और रद्दी संबंधी मानकों का युक्तीकरण (iv) प्लैटिनम/चांदी आभूषणों को भी पुनः पूर्ति लाइसेंस योजना के तहत ला दिया गया है (v) निर्यात संवर्द्धन दौरों के लिए 1,00,000 अमरीकी डालर तक के आभूषणों के नमूने निजी तौर पर ले जाने की अनुमति (vi) विदेशी बाजार में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए बान्डेड आभूषणों के निर्यात की स्वीकृति बशर्ते कि अगर ईसे 180 दिनों में नहीं बेचा जाता है तो उसके 45 दिनों की भीतर वापस कर दिया जाए। (vii) निर्यातोन्मुख एककों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के एककों को घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) एककों से सोना/चांदी प्लैटिनम के बदले उप-संविदा आधार पर मशीन से निर्मित सोना/चांदी/प्लैटिनम आभूषण लेने की अनुमति दी गई है। (viii) एग्जिम नीति के प्रावधान के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू उपयोग और निर्यात दोनों के लिए सोना/चांदी/प्लैटिनम के आयात और आपूर्ति के लिए 13 बैंकों को प्राधिकृत किया है। इससे आभूषण निर्यातकों की कीमती धातुओं की उपलब्धता और आपूर्ति में पर्याप्त सुधार हो गया है। (ix) भारत सरकार द्वारा की गई पहल के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के जरिए आभूषण निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर से बिक्री कर को हटा लिया है और अधिकांश दूसरे राज्य सरकारों ने सरकार द्वारा नामित अभिकरणों/आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बैंकों द्वारा निर्यातकों को सर्राफा की आपूर्ति पर वसूले जा रहे बिक्री कर की दर को काफी घटा दिया है।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए आभूषणों के निर्यात के लक्ष्य को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

Imact of Indo-Sri Lanka Accord

628. SHRI N. R. DASARI:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the concern expressed bo by some sections in Kerala over the adverse effect of the Indio-Sri Lankan free trade agreement on the country in general and Kerala, in particular; and

(b) if so, the details thereof and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI RAMAKRISHNA HEGDE): (a) Yes, Sir.

(b) The Govet. of Kerala has written to the Central Govt. stating that provision of tariff concessions under the Indo-Sri Lankan Free Trade Agreement on agricultural items like coconuts and coconut products, natural rubber, tea and spices would adversely affect the interests of farmer in kerala. Similar representations have also been received from other quarters in Kerala.

The concerns expressed are being given due consideration while finalising the lists of items on which tariff concessions are to be provided.

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन

629. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा निर्यातकों और आयातकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों की घोषणा कब की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन घोषणाओं के कारण सरकार द्वारा अनुमानतः कुल कितनी धनराशि का भार वहन किए जाने का अनुमान है?

वाणिज्य मंत्री (श्री राम कृष्ण हेगड़े): (क) और (ख) निर्यात नीति की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। निर्यात आयात नीति से संशोधनों की घोषणा 13 अप्रैल, 98 को की गई थी। बाद में निर्यात को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा 5 अगस्त, 98